न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 08 / 2021

आसमदीन उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बांसबुर्जा तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 07.04.2021 प्रकरण संख्या 42 / 2020 सरकार बनाम आसमदीन अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय

दिनांक 28.10.2021

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 07.04.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट की जमा शुदा प्रतिभूति राशि व प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 विधि विरूद्व व एकपक्षीय तरीके से प्राकृतिक के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को प्रेषित कारण बताओ नोटिस का उचित जबाब देने पर भी जबाब को कन्सीडर नही कर अपीलाधीन आदेश में कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट द्वारा राशन की दुकान पूरे महीने खुली रहकर राशन सामग्री का नियमानुसार पात्र उपभोक्ताओं को पोस मशीन के जरिये राशन का वितरण किया जाता है। यह तथ्य गलत है कि अपीलान्ट का पुत्र घर–घर जाकर पोस मशीन

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

पर उपभोक्ताओं के अगूंठे लगवा लाता है। अपीलान्ट द्वारा कोरोना काल में सभी उपभोक्ताओं को पूर्ण मात्रा में चना का राज्य सरकार के निर्देशानुसार वितरण किया गया था। कोरोना काल में अधिक भीड एकत्रित हो जाने के कारण किसी उपभोक्ता के राशनकार्ड में सहवन से इन्द्राज नहीं हुआ है तो उसमें अपीलान्ट का कोई मेंनसरिया नही था और ना ही कालाबाजारी करने का था। कोरोना काल 2020 में माह अप्रेल से नवम्बर माह के दौरान समस्त उपभोक्ताओं को माह में दो बार गेहूं व चना का वितरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया पोस मशीन के जरिये किया गया था जिसका आंनलाइन ट्रांन्जैक्शन दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट के विरूद्ध की गई शिकायत राजनैतिक रंजिशवश की गई है क्योंकि अपीलान्ट की पुत्रवधू पंचायत चुनाव में जीत गई थी। अपीलान्ट अभिभाषक ने कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु मौका नही दिया है और एकतरफा में कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट का लाइसेन्स को निरस्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि काबिल खारिज के है। अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध अनियमितताओं को किस साक्ष्य व आधार पर माना है व जबाब को अस्वीकार किया गया है, का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक नगर ने अपीलांट डीलर आसमदीन उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बांसबुर्जा तहसील नगर के विरूद्व मोबाइल पर सीडिंग कार्य नही करने व लापरवाही की गई है जिससे उनका कार्य तहसील में सबसे कम रहा है। जिस पर सबंधित डीलर का निलम्बित कर जांच कराई गई। वक्त जांच में पाया कि अपीलान्ट डीलर द्वारा सीडिंग कार्य में रूचि नही ली जा रही है। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने अवगत कराया कि राशन दुकान महीने में दो या तीन दिन ही खुलती है जबकि डीलर का पुत्र उपभोक्ताओं के घर–घर जाकर उनके अगूंठा लगवा लेता है और राशन की दुकान पर उपभोक्ताओं को बुलाकर दुबारा उनसे पोस मशीन में अगूंठे लगवा लेता है तथा दो बार का उपभोक्ताओं को एक ही बार का राशन वितरण करता है। तथा निशुल्क खाद्यान्न के भी दो रूपये प्रति किलो की दर से पैसे वसूल करता है। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओ ने अवगत कराया है कि चना का वितरण नही किया गया है व राशनकार्डो की आनलाइन रिपोर्ट में पाया गया कि कोरोना काल में डीलर द्वारा राशनकार्ड से प्रतिमाह चना निकाला गया है। उपभोक्ताओं के राशनकार्डो की जांच में पाया कि राशनकार्डो में दिनांक का इन्द्राज है किन्तु खाद्य सामग्री की मात्रा का कोई इन्द्राज नही किया गया है। इसी प्रकार डीलर द्वारा किसी भी उपभोक्ता को डबल गेहूं और चना का वितरण नही किया गया है जबकि राशनकार्डो की आनंलाइन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि डीलर द्वारा सभी उपभोक्ताओं

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

को प्रतिमाह डबल गेहूं व चना निकाला गया है। बीपीएल व अन्तोदय योजना के चयनित राशनकार्डो पर भी डीलर द्वारा राशन सामग्री नही दिया जाना पाया गया है।

अन्त में राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील काबिल खारिजी की है। अन्त में पैरोकार रसद द्वारा कथन किया गया कि डीलर द्वारा वितरण में काफी अनियमितताऐं की गई है। राशन सामग्री का दुरूपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपीलाधीन आदेश सही एवं कानूनन पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि डीलर द्वारा खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के आधार नम्बर का राशनकार्ड के साथ सीडिंग कार्य में लापरवाही की गई है एवं उपभोक्ताओं का दो बार का राशन निकालकर एक ही बार राशन सामग्री का वितरण किया जाना पाया गया है। उपभोक्ताओं को चना का वितरण न कर ऑनलाइन ट्रांन्जैक्शन में चना का वितरण दर्ज किया गया है। उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में डीलर द्वारा केवल दिनांक का ही इन्द्राज कर वितरित राशन सामग्री व मात्रा का कोई इन्द्राज नहीं किया गया है। डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के दो बार अगूंठा लगवाकर एक बार का ही राशन सामग्री का वितरण किया गया एवं निशुल्क वितरण की जाने वाली राशन सामग्री का भी 2 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से राशि वसूलना पाया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब की पुष्टि में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है । इससे स्पष्ट है कि डीलर द्वारा राशन वितरण में की गई अनियमितताओं में वह लिप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावें।

निर्णय आज दि0 2810.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर